

CE(P)

23.3.2023
प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.

MD

24/03/23

ई फाईल संख्या 49297-

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

SSC(P) III

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

AO(P-E)

24/3/23

इं० जीवन सिंह यादव

देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला, केदारनाथ, डीडीहाट, सल्ट, काशीपुर, रानीखेत, द्वाराहाट के विभिन्न श्रेणी के मार्गों में स्थित क्लॉस बी0 लोडिंग के सेतुओं को क्लॉस ए में उद्घीकृत किये जाने के लिए प्रथम चरण के 29 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी, अल्मोडा, पौड़ी द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अंतर्गत कुल 29 कार्यों एवं लागत ₹404.76 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹404.76 लाख (₹ चार करोड़ चार लाख छियत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हजार मात्र) की दर से 29 कार्यों हेतु 90.2 ₹ लाख (दो लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1764-III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(पी.डब्लू.डी)/2001 टी.सी।। दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047-XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी. भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में

अनुमोदित
25/3/23

यथाशयक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

- ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xi. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या1403-/III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें337- सड़क निर्माण कार्य03- राज्य सेक्टर0302- नया निर्माण कार्य53- वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग2- के कम्प्यूटर जनित संख्या- I/106951/2023 दिनांक 17 मार्च ,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

(Date: 20/03/2023 15:34:40)

अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर / उत्तरकाशी/ अल्मोडा/ रुद्रप्रयाग।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोडा।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन।
10. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.,।
11. संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

E- FILE No- 49297 का संलग्नक

धनराशि लाख रु.

में

क्र. सं.	संशोधित कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि
1	"राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में उत्तरकाशी टिहरी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग) एस0एच0 15) के कि0मी0 156 में सतनाखील नामक स्थान पर डबल लेन मोटर सेतु का निर्माण कार्य।" (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार("	70 mtr span	10.80	0.10
2	"राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में उत्तरकाशी टिहरी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग) एस0एच0 15) के कि0मी0 167 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार("	70 mtr span	14.70	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा धनारी फोल्ड मोटर मार्ग) राज्य मार्ग संख्या47-) के कि0मी0 1.00 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	60 mtr span	15.60	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत धौन्तरी कमद अंयारखाल मोटर मार्ग) राज्य मार्ग संख्या73-) के कि0मी0 10 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	21 mtr span	6.30	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग) राज्य मार्ग संख्या15-) के कि0मी0 43 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	24 mtr span	7.44	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री के अन्तर्गत उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग) एस0एच0-15) के कि0मी0 1 चैनेज 0.250 में पूर्व	68.50	14.39	0.10

	निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(			
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-गंगोत्री के अन्तर्गत उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग एस0एच0-15) के कि0मी0 12 चैनैज 11.875 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	36 mtr span	9.72	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा-बनगांव-चापड़ा-सरोठ मोटर मार्ग) राज्य मार्ग संख्या72-) के कि0मी0 27 एवं कि0मी0 33 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार18.00(	02 नं0 सेतु 30) मीटर, 30 मीटर(	18.00	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में मोरी-नैटवाड़-सांकरी-जखोल मोटर मार्ग) एस0एच0 48) के कि0मी0 32 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	48 mtr span	12.48	0.10
10	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी/पुरोला में त्यूनी पुरोला नौगांव) राज्य मार्ग संख्या17-) के कि0मी0 83 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	48 mtr span	12.48	0.10
11	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी/पुरोला में त्यूनी पुरोला नौगांव) राज्य मार्ग संख्या17-) के कि0मी0 67 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	36 mtr span	9.36	0.10
12	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में मोरी-नैटवाड़-सांकरी-जखोल) राज्य मार्ग संख्या48-) मोटर मार्ग	30 mtr span	9.00	0.10

	के कि0मी0 01 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(			
13	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में मोरी-नैटवाड़-सांकरी-जखोल) राज्य मार्ग संख्या48-) मोटर मार्ग के कि0मी0 06 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	55 mtr span	14.30	0.10
14	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी में मोरी-नैटवाड़-सांकरी-जखोल) राज्य मार्ग संख्या48-) मोटर मार्ग के कि0मी0 14 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	24 mtr span	7.20	0.10
15	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग) एस0एच0 37) के कि0मी0 61, है0मी0 (2-4) में छेनागाड़ तथा कि0मी0 47 है0मी0 (8-10) में डमारगाड़ में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	02 नं0 सेतु 30) मीटर, 36 मीटर(	19.02	0.10
16	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत गुप्तकाशी-कालीमठ - कोटमा-जाल-मल्ला - चौमासी मोटर मार्ग) एस0एच0 96) के कि0मी0 17 है0मी0 (0-2) में मन्दाकिनी नदी एवं कि0मी0 17 है0मी0 (2-4) में कालीगंगा नदी में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	02 नं0 सेतु 45) मीटर, 36 मीटर(	21.87	0.10
17	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बांसवाड़ा-कणसिल-मोहनखाल मोटर मार्ग) एस0एच0 56) के कि0मी0 18 है0मी0 8-10 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम	30mtr span	9.30	0.10

चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(			
18 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में खिर्सू खेड़ाखाल काण्डई खांकरा मोटर मार्ग) एस0एच0 50) के कि0मी0 30 में स्थित बच्छणगाड़ में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	18 mtr span	5.40	0.10
19 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग) एस0एच0 37) के कि0मी0 11 में स्थित पंजणा में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	48 mtr span	12.96	0.10
20 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग) एस0एच0 37) के कि0मी0 10 में स्थित कुनियाली में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	18 mtr span21	5.58	0.10
21 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में उत्तरकाशी टिहरी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग) एस0एच0 15) के कि0मी0 140 में स्थित मंमणी में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	24 mtr span	7.44	0.10
22 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में उत्तरकाशी टिहरी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग) एस0एच0 15) के कि0मी0 152 में स्थित पंयाताल में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य।)प्रथम चरण((RFQ एवं TOR के अनुसार(	25 mtr span	7.75	0.10
23 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अल्मोड़ा -बेरीनाग-थलमुवानी -चौबाटी -सानदेव -डीडीहाट -ओगला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-101) के चौ0 19.700 तथा चौ0 21.825 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टी0ओ0आर0 के अनुसार)	02 no. sapn (7 mtr , 9.50 mtr)	4.95	0.10
24 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में भिकियासैण देघाट मेहलचौरी बहुवाखाल चौखुटिया मोटर मार्ग (राज्य मार्ग	09 span	24.93	0.10

	संख्या-33) के किमी 3, किमी 4, किमी 15, किमी 16, किमी. 20, किमी. 22, किमी 23 एवं किमी 26 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (आर.एफ.क्यू एवं टीओओआर के अनुसार)			
25	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र— काशीपुर में काशीपुर ठाकुरद्वारा मोटर मार्ग (एसओएच 45) के किमी 6 में दाढ़ी नदी पर पूर्व निर्मित सेतु के समानान्तर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टीओओआर के अनुसार)	30mtr span	7.79	0.10
26	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र— काशीपुर में काशीपुर ठाकुरद्वारा मोटर मार्ग (एसओएच 45) के किमी 3 में पछाना नदी पर पूर्व निर्मित सेतु के समानान्तर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टीओओआर के अनुसार)	20mtr span	5.19	0.10
27	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भतरौजखान-भिकियासैन-चौखुटिया मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-12) के किमी 25, किमी 29 (है 0 मी 2-4), किमी 29 (है 0 मी 4-6), किमी 29 (है 0 मी 4-6), किमी 31, किमी 37, किमी 42 (है 0 मी 0-2), किमी 42 (है 0 मी 4-6), किमी 44, किमी 46, किमी 47, किमी 48, किमी 49, किमी 53, किमी 54, किमी 55 एवं किमी 56 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टी.ओ. आर. के अनुसार)।	16 no span	61.97	0.10
28	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत भिकियासैन—देघाट—बूंगीघार—मेहलचौरी—माईथन—खीड़ा—चौखुटिया मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के किमी 100, किमी 107 एवं किमी 109 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टी.ओ.आर के अनुसार)	3 no span	22.16	0.10
29	राज्य योजना के जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत बागेश्वर—गिरेछीना—सोमेश्वर—द्वाराहाट—विमाण्डेश्वर—ईडा—रानीखेत मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 58) के किमी 53 है 0 0-2), किमी 53 (है 0 मी 4-6), किमी 65, किमी 77, किमी 80, किमी 90 एवं किमी 92 में पूर्व निर्मित सिंगल लेन क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (आर.एफ.क्यू एवं टी. ओ.आर के अनुसार)	7 no span	26.68	0.10
	योग:-	29 span	404.76	2.90

(कुल रु.दो लाख नब्बे हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 20-03-2023 17:33:56

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/107703/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220074
 आवंटन पत्र दिनांक-21-MAR-2023

लेखा शीर्षक
 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					4500000	290000	0	4790000				
योग					4500000	290000	0	4790000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,90,000 (Rupees Two Lacs Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 349 / 20 याता0'कनियो0-1/2023

दिनांक- 25.03.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/छठां/सातवां/वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/रूद्रपुर/उत्तरकाशी/गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण/प्रान्तीय/अस्थाई खण्ड खण्ड, लोक निर्माण विभाग,.....।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष